आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
29.04.2024	**वाद संख्या–06 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती निशा घोष के प्रतिनिधि के तौर पर श्री डब्लू घोष, ग्राम–जनार्दनपुर, पंचायत–बागडेहरी, प्रखण्ड–कुण्डहित, जिला–जामताड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा अनुपस्थित। शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि के तौर पर श्री डब्लू घोष उपस्थित हैं। उनका कहना है कि आयोग के पिछले आदेश का अनुपालन अब तक जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। गौरतलब है कि आयोग ने पिछली सुनवाई में निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को निर्देश दिया था कि वे शिकायतकर्ता को बकाया राशि के साथ–साथ 2000.00 रू0 क्षतिपूर्ति की राशि उपलब्ध कराएँ। आयोग ने शिकायतकर्ता को क्षतिपूति की राशि प्राप्त करने के लिये लिखित अनुरोध पत्र भेजने का निर्देश दिया था, जो आयोग के अभिलेख में उपलब्ध है। आयोग की पिछली सुनवाई के बाद जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा ने ज्ञापांक–762 दिनांक–26.04.2024 के माध्यम से आयोग को एक प्रतिवेदन भेजा है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि लाभुक का बैंक खाता आधार से mapped नहीं रहने के कारण राशि का भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है। प्रतिवेदन में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इस आशय की सूचना लाभुक को बार–बार दिया जा रहा है, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में लाभुक के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा उल्लेखित इन बातों को शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि ने आयोग को गुमराह करने और आयोग के समक्ष गलत तथ्य पेश करना बताया। शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा तथ्यों को गलत बताए जाने के बाद जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा को फोन लगाया गया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के अधीन एक कर्मी ने फोन उठाया और उन्होंने बताया कि मैडम को टेलिफोन पर सुनने में कठिनाई होती है, इसलिये उन्होंने फोन उठाया है। आयोग ने जब सम्बन्धित कर्मी से यह जानना चाहा कि यदि लाभुक को बैंक खाता आधार से mapped कराने के सम्बन्ध की कोई लिखित सूचना दी गई है, तो उस सूचना की प्रति आयोग को उपलब्ध कराई जाए। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के कर्मी इस संदर्भ में आयोग को न तो सूचना दे पाये, न ही लिखित सूचना शिकायतकर्ता को भेजे जाने का प्रमाण उपलब्ध करा पाए। वे कभी यह कहते रहे कि मौखिक रूप से सूचना दी गई, तो कभी लिखित सूचना दिये जाने की बात कहते रहे। आयोग यह मानने को विवश है कि आयोग को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और शिकायतकर्ता के अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है। आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के ऐसे प्रयासों को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगली सुनवाई तक यदि शिकायतकर्ता को उनका बकाया राशि और क्षतिपूर्ति की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई, तो आयोग	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय के विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–20 (2) के तहत् वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ करने को विवश होगा। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–11.06.2024 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय एवं उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.06.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।